पत्रांक-02/सा०सु० वृद्धाश्रम 'सहारा' (राशि आवंटन)-07/2023-

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- **समाज कल्याण विभाग के प्रक्षेत्राधीन गयाजी जिलान्तर्गत संचालित वृद्धाश्रम गृह 'सहारा' में पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गयाजी के द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन रू० 8,97,000/- (आठ लाख सनतान्वे हजार) मात्र के आलोक में व्यय की गई राशि पर घटनोत्तर स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा वृद्धजनों के कल्याणार्थ वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना का संचालन किया जाता है जिसमें निराश्रित, उपेक्षित एवं बेसहारा वृद्धजनों को आवासित कर उन्हें बेहतर जीवन-यापन हेतु सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में राज्य के छः जिलों यथा पटना, गयाजी, भागलपुर, रोहतास, पूर्णियॉ एवं पश्चिम चम्पारण में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना का संचालन किया जा रहा है।

2. गयाजी जिलें के मानपुर प्रखण्ड के पहाडी क्षेत्र में अपने भवन में वृद्धाश्रम 'सहारा' योजना संचालित है। पहाडी क्षेत्र होने के कारण बार-बार बोरिंग कराने के बाद भी बोरिंग फेल हो जाने के कारण पानी की समस्या बनी हुई थी।

3. जिला पदाधिकारी, गयाजी के द्वारा वृद्धाश्रम भवन से 1500 मी० आगे नया बोरिंग करके पाईप के द्वारा पानी की आपूर्ति वृद्धाश्रम में कराने का अनुरोध कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, गयाजी से करने के आलोक में संबंधित प्राधिकार द्वारा वृद्धाश्रम गृह में पानी की व्यवस्था कर दिया गया है तथा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, गयाजी द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित रू० 8,97,000/- (आठ लाख सनतान्वे हजार) पर स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी मॉग संख्या -51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष 0106-निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण योजना के अंतर्गत विपत्र कोड 51-2235021010106 के संगत विषय शीर्ष में उपलब्ध बजटीय उपबंध से किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन हेतु सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गयाजी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि CFMS के माध्यम से सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गयाजी को उपलब्ध करायेंगे तथा बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-3758/वि० दिनांक-31.05.2017, पत्रांक-378/वि० दिनांक-16.01.2018, पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024, बिहार PWD संहिता के प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा।

8. प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-02/सा०सु० वृद्धाश्रम 'सहारा' (राशि आवंटन)-07/2023- के टिप्पणी पृष्ट संख्या 38/टि0 पर दिनांक 13-08-2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 02/सा०सु० वृद्धाश्रम 'सहारा' (राशि आवंटन)-07/2023 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गयाजी/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गयाजी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-02/सा०सु० वृद्धाश्रम 'सहारा' (राशि आवंटन)-07/2023 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-02/सा०सु० वृद्धाश्रम 'सहारा' (राशि आवंटन)-07/2023 84 पटना, दिनांक-20.8.2026

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

19/8/26

संयुक्त सचिव।